


3/7/18.


पत्रावली पेश हुई। इस प्रपत्र से सम्बन्धित
वाद पत्र प्राथमिक आपत्ति प्रपत्र प्राची
10, 11 स्वीकार किया जाकर प्रपत्राज 10, 11

के तदुक्त दावा रवारीज किया गया है एवं
न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा
151 के तहत उक्त अनर्निहित शर्तों

का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण वाद को

रवारीज किया गया है अतः प्राथमिक पत्र





इसी स्टेज पर खारीज किया जा रहा है।
पंजाब की फसल शुरू होकर बाद
तत्पश्चात् तदन्तर्गत दाखिल किया है।

तारीख हुक्म



अधीन

सहायक सचिव एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
वाकाना